

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

मांग संख्या 48

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

मुख्य शीर्ष	बजट 2009-2010			संशोधित 2009-2010			बजट 2010-2011			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	420.00	186.00	606.00	400.00	200.00	600.00	500.00	160.00	660.00	
पूँजी	
जोड़	420.00	186.00	606.00	400.00	200.00	600.00	500.00	160.00	660.00	
1. सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	2251	0.50	1.00	1.50	...	0.10	0.10	4.00	0.15	4.15
2. निदेशन और प्रशासन	2210	0.50	...	0.50
3. मूल, अनुप्रयुक्त और उपचारिक अनुसंधान का संवर्धन, समन्वयन और विकास	2210	2.00	...	2.00	49.00	...	49.00
4. अनुसंधान गवर्नेंस मुद्दों संबंधी संवर्धन और मार्गदर्शन	2210	1.00	0.50	1.50	3.00	...	3.00
5. चिकित्सा, जैव-चिकित्सा और स्वास्थ्य अनुसंधान में अन्तर क्षेत्रीय समन्वयन	2210	1.00	...	1.00	5.00	...	5.00
6. चिकित्सा और स्वास्थ्य में अनुसंधान संबंधी उन्नयन प्रशिक्षण	2210	1.00	0.50	1.50	0.05	...	0.05	8.00	...	8.00
7. चिकित्सा और स्वास्थ्य अनुसंधान में अन्तरराष्ट्रीय समन्वयन	2210	1.00	...	1.00	0.30	...	0.30	8.00	...	8.00
8. महामारी, प्राकृतिक आपदा से संबंधित विषय और इनके फैलाव को रोकने के लिए साधनों का विकास	2210	1.00	...	1.00	5.00	...	5.00
9. औषधि और स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्रों में वैज्ञानिक समितियों और संघों, धर्मार्थ और धार्मिक विन्यास संबंधी विषय	2210	0.50	...	0.50	3.00	...	3.00
10. सरकारी संगठनों और संस्थानों के साथ स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में समन्वयन	2210	1.00	...	1.00	0.15	...	0.15	5.00	...	5.00
11. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	2210	368.00	184.00	552.00	359.50	199.90	559.40	360.00	159.85	519.85
12. अन्य चिकित्सा अनुसंधान योजनाएं	2210	0.50	...	0.50
13. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम की परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान	2552	42.00	...	42.00	40.00	...	40.00	50.00	...	50.00
कुल जोड़		420.00	186.00	606.00	400.00	200.00	600.00	500.00	160.00	660.00

ग. आयोजना परिव्यय

	विकास शीर्ष	बजट समर्थन			आं.ब.बा.सं.			जोड़		
		बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	22251	0.50	...	0.50	4.00	...	4.00
2. चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	22210	377.50	...	377.50	360.00	...	360.00	446.00	...	446.00
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	42.00	...	42.00	40.00	...	40.00	50.00	...	50.00
जोड़		420.00	...	420.00	400.00	...	400.00	500.00	...	500.00

1. **सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ:** इसमें स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिवालय संबंधी व्यय के लिए व्यवस्था है।

2. **निर्देशन और प्रशासन :** इसमें मुख्यालय में स्वास्थ्य अनुसंधान के विषय में तकनीकी विशेषज्ञता के लिए प्रावधान है और विभिन्न स्वास्थ्य अनुसंधान क्रियाकलापों की मानीटरिंग के लिए उत्तरदायी है।

3. **मूल अनुप्रयुक्त और नैदानिक अनुसंधान का संवर्धन, समन्वयन एवं विकास :** इसमें चिकित्सा, स्वास्थ्य, जैवचिकित्सा और चिकित्सा व्यवसाय से संबंधित क्षेत्रों में नैदानिक परीक्षणों और शल्य-चिकित्सीय अनुसंधान सहित मूल/अनुप्रयुक्त और नैदानिक अनुसंधान के संवर्धन एवं समन्वयन के लिए व्यवस्था है।

4. **अनुसंधान अभिशासन विषयों के बारे में संवर्धन और मार्गदर्शन :** इसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, आयुष विभाग और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग सहित एक त्रिपक्षीय अनुसंधान नीति और क्रियान्वयन/समन्वयन तंत्र की स्थापना के लिए व्यवस्था है।

5. **चिकित्सा, जैव-चिकित्सा और स्वास्थ्य अनुसंधान में अंतर क्षेत्रीय समन्वय :** इस योजना में भारत में और भारत के बाहर प्रौद्योगिकी का प्रबंध, शुरुआती सहायता, नवीकरण, संवर्धन निधि, परामर्शी-प्रोत्साहन कार्यक्रम आदि आते हैं।

6. **चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र में उन्नत प्रशिक्षण और अनुसंधान :** इस योजना में एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान प्रणाली के विकास के लिए प्रारंभिक उपाय करने की बात है। इस प्रणाली के अंतर्गत विविध अनुसंधान एजेंसियाँ, मंत्रालय और सेक्टर संयुक्त रूप से प्राथमिकता वाले अनुसंधान क्षेत्रों का पता लगाएंगे और एक दूसरे को तालमेल करेंगे जिससे कि पुनरावृत्ति, विखण्डन, फालतूपन एवं ज्ञान प्राप्त करने में अन्तरों से बचा जा सके।

7. **चिकित्सा और स्वास्थ्य अनुसंधान में अंतरराष्ट्रीय सहयोग :** इस योजना से अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलनों से संबंधित कार्य सहित चिकित्सा व स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में अन्तरराष्ट्रीय सहयोग करने में आसानी होती है।

8. **महामारियों, राष्ट्रीय आपदाओं और इन्हें फैलने से रोकने के साधनों के विकास संबंधी विषय :** इस योजना में रिवाल्विंग निधि बनाने की बात कही गई है जिससे कि संक्रामक बीमारी के फैलने को रोकने के लिए अथवा प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं का मुकाबला करने के लिए शीघ्र तंत्र जुटाने में सहुलियत हो।

9. **चिकित्सा और स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्र में वैज्ञानिक सोसाइटियों और परिसंघों, धर्मार्थ और धार्मिक विन्यास संबंधी विषय :** यह योजना चिकित्सा और स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्रों में वैज्ञानिक सोसाइटियों, परिसंघों, धर्मार्थ और धार्मिक विन्यासों से संबंधित है।

10. **स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में सरकारों संगठनों और संस्थानों के साथ समन्वय :** इस योजना में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में विशेष अध्ययन के क्षेत्रों में केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के अधीन संगठनों और संस्थानों के मध्य समन्वय करने का अनुरोध है।

11. **भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली :** यह देश में जैवचिकित्सीय एवं स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने, समन्वित करने और सूत्रबद्ध करने के लिए एक शीर्ष निकाय है। केन्द्रीय सरकार इस परिषद को संचारी बीमारियों, गर्भ निरोधक, प्रसूति व बाल स्वास्थ्य, पोषाहार, गैर-संचारी बीमारियों और मूल अनुसंधान में अनुसंधान के लिए 100% सहायता देती है। यह परिषद जन जातीय स्वास्थ्य, पारंपरिक औषधि के अनुसंधान कार्य और सूचना के प्रकाशन और प्रचार-प्रसार में भी लगी हुई है।

12. **अन्य स्वास्थ्य अनुसंधान स्कीमें :** इस स्कीम में अनुसंधान के क्षेत्र में विविध कार्यकलाप शामिल किए गए हैं।

13. **पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम की परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान :** योजना आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ वाली स्कीमों/परियोजनाओं के लिए 50.00 करोड़ रुपए के एक मुश्त प्रावधान की व्यवस्था है।